2024/311

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट
श्री विक्रम कुमार निवासी चौधरियों का वास भाद्राजूण, आहोर जिला ~~सिरोही~~। जालोर।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 65 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.12.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरोही को दिनांक 08.05.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने से लेकर 31.12.2023 तक आपके कार्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं किसी कारणवश अमान्य घोषित किए गए आवेदकों की सूची कारण सहित उपलब्ध करावें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण पत्र गलत पाया गया है तो उसे निरस्त करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है तथा क्या इससे प्राप्त अवैध लाभ को निरस्त किया जा सकता है अथवा नहीं। तथा इसके विरूद्ध कार्यवाही करने के क्या प्रावधान है। उपरोक्त वर्णित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरोही को दिनांक 08.05.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने से लेकर 31.12.2023 तक आपके कार्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं किसी कारणवश अमान्य घोषित किए गए आवेदकों की सूची कारण सहित उपलब्ध करावें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण पत्र गलत पाया गया है तो उसे निरस्त करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है तथा क्या इससे प्राप्त अवैध लाभ को निरस्त किया जा सकता है अथवा नहीं। तथा इसके विरूद्ध कार्यवाही करने के क्या प्रावधान है। उपरोक्त वर्णित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वी[illegible]ाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:43:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner